कृषक उद्यान अधिकारी से संपर्क कर आलू बीज प्राप्त कर सकेंगे

छूट के उपरांत श्रेणीवार आलू बीज की दरें 1960 रुपये से 2915 रुपये प्रति कुंतल निर्धारित

लखनऊ : 16 अक्टूबर, 2025

प्रदेश के उद्यान, कृषि विपणन, कृषि विदेश व्यापार एवं कृषि निर्यात राज्यमंत्री (स्वतंत्र प्रभार) श्री दिनेश प्रताप सिंह ने कहा कि प्रदेश के आलू किसानों के हित में वर्ष 2025—26 हेतु विभागीय गुणवत्तायुक्त सभी श्रेणियों के आलू बीज की विक्रय दरों पर 800 रुपये प्रति कुंतल की छूट प्रदान की गयी है। किसानों को सभी प्रकार की विभागीय आलू बीज की दरें 1960 रुपये से 2915 रुपये प्रति कुंतल की दर से मिलेगा। आलू बीज में कम लागत आने से किसान आलू की खेती करने के लिए प्रोत्साहित होंगे तथा गुणवत्तायुक्त बीज की उपलब्धता से प्रदेश में आलू उत्पादन में भी वृद्धि होगी।

उद्यान मंत्री ने कहा कि वर्तमान में उद्यान विभाग के पास 41,876 कुंतल आलू बीज भंडारित है। विभाग द्वारा यह बीज नकद मूल्य पर किसानों को उपलब्ध कराया जाएगा, ताकि किसान आगामी वर्षों के लिए बीज उत्पादन कर सकें। छूट के उपरांत आलू बीज की श्रेणीवार आधारित प्रथम की 2915 रू0, आधारित द्वितीय की 2610 रू0, ओवर साइज (आधारित प्रथम) की 2040 रू0, ओवर साइज आधारित द्वितीय की 1985 रू0, आधारित प्रथम ट्रुथफूल की 1960 रूपये प्रति कुन्तल की विक्रय दर से किसानों को उपलब्ध कराया जायेगा।

इस संबंध में विभाग द्वारा शासनादेश जारी कर दिया गया है। उक्त श्रेणियों में सफेद एवं लाल आलू बीज की विक्रय दरें एक समान रहेंगी। शोध संस्थाओं एवं सरकारी संस्थाओं को छूट प्रदान नहीं की जायेगी। किसान भाई विभागीय आलू बीज कम दरों पर अपने संबंधित जनपदीय उद्यान अधिकारी से संपर्क कर नकद मूल्य पर प्राप्त कर सकते हैं।

सम्पर्क सूत्र— प्रदीप कुमार

राघवेन्द्र / 06:15 **PM**

फोन नम्बर Direct : 0522—2239023 ई0पी0बी0एक्स0 : 0522—2239132,33,34,35 एक्सटेंशन : 223 224 225
फैक्स नं0 : 0522—2237230 0522—2239586 ई—मेल : upsoochna@gmail.com,
वेबसाइट :www.information.up.gov.in